उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या– 26 / 2021

जेठु महतो वगै० बनाम् चोलाराम बेदिया वगै० एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
25.11-2022	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी 1. जेठु महतो, पिता–स्व० पुरन महतो, 2. जालंधर महतो, पिता–स्व० रोहन महतो, 3. भुनेश्वर महतो, पिता–स्व० मोहर महतो, 4. मो० इस्लाम, पिता–स्व० नियामत मियाँ, एवं 5. अजीज अंसारी, पिता–स्व० भाकुर मियाँ, सभी का निवास ग्राम–कुसुमडीह, कल्याणपुर, थाना–गोला, जिला रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या 30 / 2018–19 चोलाराम बेदिया वगै० बनाम् जेठु महतो एवं अन्य में दिनांक 04.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 215(5) C.N.T. Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–कुसुमडीह, कल्याणपुर, थाना–गोला, जिला–रामगढ़ के खाता न०–37 प्लॉट न०–365 रकवा–0.91 ए० प्लॉट नं०–447 रकवा–0.49 ए० एवं प्लॉट नं०–449 रकवा–0.50 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा–कुसुमडीह, कल्याणपुर, थाना–गोला, जिला–रामगढ़ के खाता न०–37 प्लॉट न०–365 रकवा–0.91 ए० प्लॉट नं०–447 रकवा–0.49 ए० एवं प्लॉट नं०–449 रकवा–0.50 ए० भूमि सर्वे खतियान में जयनाथ नाया के नाम से रैयती दर्ज है, अंचल अधिकारी, गोला के अनुसार खतियान अदिवासी खाते की है। अपीलार्थी के द्वारा उक्त भूमि केवाला दस्तावेज संख्या–3505, दिनांक–06.08.1948 केवाला संख्या–977, दिनांक–12.03.1942 से भूमि क्रय करने का दावा करते है। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि जब उनके द्वारा भूमि क्रय की गई थी उस समय कौम बेदिया C.N.T. Act के अंतर्गत आदिवासी में शामिल नही किये गये थे, पूर्व में भी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में आदिवासी के द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–220 / 1978 एवं 41 / 98 दायर किया गया था। उक्त दोनो आवेदन	

खारिज किया गया। उनका पंजी–II पर जमाबंदी कायम हैं। द्वितीय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते भूमि का दावा करते है एवं अंचल अधिकारी, गोला के अनुसार पंजी–II के पृष्ठ संख्या–5/I पर 4.77½ ए० भूमि की जमाबंदी खतियानी रैयत के पोता सहीराम बेदिया के नाम से कायम है। अपीलार्थी की जमाबंदी पंजी–II पृष्ठ संख्या–204/I एवं 102/III पर कायम है परन्तु स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से आदिवासी खाते की जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरित हुआ है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं निम्न न्यायालय में पारित आदेश से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी का कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हजारीबाग के न्यायालय भू–वापसी वाद संख्या–220/1978 दायर किया गया है। जिसे न्यायालय में अस्वीकृत किया गया उनका कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में भू–वापसी वाद संख्या–41/1998 दायर किया गया था। उस आवेदन को भी अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त दोनों वादों में आवेदन अस्वीकृति का कारण क्रमशः बेदखली की अवधि 12 वर्ष एवं Res –Judicata को आधार बनाया गया है। लेकिन गैर आदिवासी की कायम जमाबंदी की बैधता की संबंध में किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया साथ ही अपीलार्थी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि गैर आदिवासी की जमाबंदी किस सक्षम पदाधिकारी के आदेश से खुली है। अर्थात C.N.T. Act का उलंघन किया गया है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–30/2018–19 चोलाराम बेदिया वगै० बनाम् जेठु महतो एवं अन्य में दिनांक–04.03.2021 को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46–4(ए) के तहत् पारित आदेश को यथावत् रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
25.11.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
25.11.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.12.08 13:53:28 +05:30
Location: 192.168.0.8